हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

विशेष सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 148

शुक्रवार, 27 मई, 2017/6 ज्येष्ठ, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक 11.00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

2. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल परः**

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(i) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 7); और

(ii) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 8) ।

3. **विधायी कार्यः**

(I) **सरकारी विधेयक की पुरः स्थापना**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मन्त्री
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री सुरेश भारद्वाज
4. श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री
5. श्री रविन्द्र सिंह
6. श्री कुलदीप कुमार

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 174 तक विधेयक का अंग बने।

अनुसूची 1, 2 और 3 विधेयक का अंग बनीं ।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6)) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

(अपराह्न 12.04 बजे सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)